घुमंतू चरवाहों के

न्यायसंगत भविष्य की कार्यसूची

actionaid
ActionAid Association (India)

www.actionaidindia.org @actionaidindia

actionaidcomms @company/actionaidindia actionaid_india

Actionaid Association, F-5 (First Floor), Kailash Colony, New Delhi -110048.

+911-11-40640500

एक्शनएड एसोसिएशन एक भारतीय संगठन है जो 24 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और पारिस्थितिक न्याय के क्षेत्र में काम कर रहा है। समर्थकों, सहयोगी संगठनों, समुदायों, संस्थानों और सरकारों के साथ मिलकर, हम सभी के लिए समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते हैं।

actionaid
ActionAid Association (India)

घुमंतू चरवाहों के न्यायसंगत भविष्य की कार्यसूची

actionaid
ActionAid Association (India)

घुमंतू चरवाहों के न्यायसंगत भविष्य की कार्यसूची

March, 2024

Some rights reserved

This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License. Provided they acknowledge the source, users of this content are allowed to remix, tweak, build upon and share for non-commercial purposes under the same original license terms.

actionaid
ActionAid Association (India)

www.actionaidindia.org @actionaidindia
actionaidcomms @company/actionaidindia actionaid_india

Actionaid Association, F-5 (First Floor), Kailash Colony, New Delhi -110048.
+911-11-40640500

विषयसूची

वर्तमान परिदृश्य	01
घुमंतू पशुचारण को क्यों संरक्षित किया जाना और बढ़ावा दिया जाना चाहिए?	02
क्या किए जाने की जरूरत है?	03
घुमंतू चरवाहों के न्यायसंगत भविष्य के लिए एजेंडा	04
1. गणना एवं कानूनी मान्यता	04
2. घुमंतू चरवाहे जनजातियों के लिए आरक्षण	06
3. चरवाहों को सामाजिक सुरक्षा	06
4. शिक्षा	06
5. स्वास्थ्य सेवाएँ	06
6. एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS)	07
7. महिलाएँ एवं लड़कियाँ	07
8. बैंकिंग सेवाएँ	07
9. पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा	07
10. आजीविका और आर्थिक चुनौतियाँ	08
11. सामाजिक–सांस्कृतिक सीमांतकरण को संबोधित करना	10
12. गतिशीलता सुरक्षित करना	11
13. भूमि अधिकार	12
14. विवाद प्रबंधन	14
15. पशुधन स्वास्थ्य और प्रबंधन	14
16. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना	15
17. संस्थागत तंत्र	16

वर्तमान परिदृश्य

पृथ्वी पर घुमंतू पशुचारण, प्राचीनतम व्यवसायों में से एक है। यह रखरखाव और साझाकरण सहित, सहयोग और एकजुटता में निहित सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है तथा टिकाऊ तरीके से जीवन जीने की मिसाल पेश करता है। इसमें गतिशीलता, न्यूनतम पर्यावरणीय पदचिह्न और प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान का भाव शामिल है। इस व्यवसाय की प्रथाएँ, भूमि पर कम से कम दबाव बनाकर जीने का मूल्यवान सबक प्रदान करती हैं, जो अनुकूलन, संसाधनशीलता और पर्यावरण से समरसता के महत्व पर जोर देती हैं। भारत में घुमंतू पशुचारण की एक समृद्ध परंपरा रही है, जिसमें लाखों–लाख चरवाहे पशुधन आबादी का प्रबंधन करते हैं। घुमंतू चरवाहों के समुदाय, अर्थव्यवस्था और जैव–विविधता संरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज बहुत से घुमंतू चरवाहे या तो पूरी तरह से एक जगह पर बस चुके हैं, या, अर्ध–घुमंतू जीवन व्यतीत करते हैं। इस परिवर्तित जीवन शैली के पीछे सामाजिक एवं पर्यावरणीय कारण शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या का 1%, या लगभग 1.3 करोड़ लोग चरवाहे हैं। इनके लिए पशुधन प्रबंधन और प्रजनन सदियों से चला आ रहा एक वंशानुगत पेशा है।

इस समुदाय के समक्ष एक अहम मुद्दा चरागाहों की हानि है। सितंबर 2019 में आयोजित 14वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी) के दौरान यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (यूएनसीसीडी) में प्रस्तुत भारत सरकार के आँकड़ों से ज्ञात होता है कि पिछले एक दशक में भारत में घास के मैदानों की 31% (56.5 लाख हेक्टेयर भूमि) हानि हुई है। साल 2005 और 2015 के बीच भारत में घास के मैदानों का कुल क्षेत्रफल 1.8 करोड़ हेक्टेयर से घटकर 1.23 करोड़ हेक्टेयर रह गया। इसी रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में देश ने अपनी लगभग 19% सार्वजनिक भूमि भी गँवा दी।

एक ओर जलवायु परिवर्तन तथा राज्य की अधकचरी नीतियों की मार; तथा, दूसरी ओर निरंतर सिकुड़ते घास के मैदानों एवं घटती सार्वजनिक भूमि के कारण चरवाहे अपने समूह तथा अपनी जीवन शैली को बरकरार रखने के लिए जूझ रहे हैं। सार्वजनिक संपत्ति संसाधनों का क्षरण, उनकी आजीविका पर एक प्रमुख आघात है। इसके अतिरिक्त, अतिक्रमण, भूमि उपयोग का विविधीकरण, अपर्याप्त कानूनी संरक्षण, चरागाहों तक उनकी पहुँच तथा उनके नियंत्रण को और अधिक प्रतिबंधित करते हैं। बदलती जलवायु और पशुओं में रोगों की बढ़ती गंभीरता ने उनके पशुधन और आजीविका को प्रभावित करने वाली चुनौतियों को और अधिक बढ़ा दिया है। परिणामस्वरूप, पहले से ही हाशिए पर रहने वाले संसाधन–विहीन घुमंतू चरवाहे समुदाय अपने अस्तित्व के लिए इस मुफ्त चराई और सार्वजनिक भूमि पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

चरागाहों के नष्ट होने से भारत में घुमंतू चरवाहों के सामने पेश आने वाली बहुमुखी चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। उन्हें कलंक और भेदभाव के साथ–साथ सामाजिक तथा आर्थिक उपेक्षा भी सामना करना पड़ता है। इनमें से कई समुदायों को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत "आपराधिक जनजाति" का नाम देकर बदनाम किया गया था। इस प्रकार, जीवन शैली के स्थापित सामाजिक मानदंडों से मेल न खाने के कारण घुमंतू चरवाहों की अक्सर सामाजिक रूप से उपेक्षा की जाती है। अस्थाई जीवनशैली

और बसावट उन्हें मुख्यधारा के समाज में 'बाहरी' बनाती है। उनके प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव का यही कारण है। भूमि, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे संसाधनों तक पहुँच न होने के कारण उन्हें अकसर आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ता है। इसी कारण वे भू–पतियों, बिचौलियों और भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा शोषण के शिकार बनते हैं। पहचान और मान्यता के अभाव की यह स्थिति उनमें असुरक्षा के बोध को और बढ़ा देती है और उनकी दरिद्रता और हाशिए के चक्र को कायम रखती है। कानूनी उपायों के जरिए घुमंतू चरवाहों के उत्थान के प्रयासों के बावजूद, उन्हें अक्सर कानूनी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भूमि स्वामित्व, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को नियंत्रित करने वाले कानून, इन समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में असफल रहे हैं, बल्कि ये कानून उन्हें और अधिक हाशिए पर धकेल रहे हैं। इस प्रकार घुमंतू चरवाहे बच्चों को अक्सर उनकी अस्थाई जीवनशैली और स्कूलों तक उनकी सीमित पहुँच के कारण शिक्षा में व्यवधान का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं तक भी उनकी पहुँच सीमित है, जिस कारण इन समुदायों के भीतर स्वास्थ्य संबंधी असमानताएँ गंभीर रूप से बढ़ रही हैं।

दूध, घी, ऊन और मांस जैसे पशुपालक उत्पादों के बाजार मूल्य में गिरावट आने से उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हुई है। पशुधन और पशुधन उत्पादों के लिए बाजार तक पहुँच और उचित दामों की कमी के कारण घुमंतू चरवाहे अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए जूझ रहे हैं।

बॉर्डर बंद हो जाने के कारण, सीमा पार करने वाले चरवाहों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप, भारत और पाकिस्तान के बीच गिलगिट–बलतिस्तान का इलाका बंद किए जाने से उस इलाके में आवाजाही कम हो गई है और वहाँ के चरवाहों के पशुओं के चरने के पैटर्न में बाधा आ रही है।

पितृसत्तात्मक मूल्यों और संरचनाओं के अधिक सुदृढ़ होने के कारण चरवाहे समुदायों को भी आंतरिक रूप से बदलावों का सामना करना पड़ रहा है। चरवाहे समाजों में परंपरागत रूप से महिलाएँ अधिक निर्णायक भूमिकाओं में रही हैं, कम से कम आर्थिक क्षेत्र में। परंतु, समकालीन घुमंतू देहाती समाजों में पितृसत्ता अपने पैर फैलाती जा रही है, जिसके चलते महिलाओं को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बाल विवाह, वधु की खरीद–फरोख्त और शिक्षा के बंद होने जाने के साथ–साथ समुदाय के भीतर और समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण, घुमंतू चरवाहे समुदायों की महिलाओं को दुगनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बालिकाओ की शिक्षा का मुद्दा भी प्रासंगिक बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के योगदान को पर्याप्त मान्यता नहीं दी जाती। देहाती समुदायों में ग्रामीण महिलाओं को अक्सर अपने समाज के भीतर प्रतिबंधों के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि संपत्ति के स्वामित्व और निर्णय–निर्माण में भागीदारी पर प्रतिबन्ध। अर्थव्यवस्था, जैव विविधता संरक्षण, पशुधन उत्पादन, मिट्टी की उर्वरता और देशज ज्ञान में उनके अमूल्य योगदान के बावजूद, महिलाओं के योगदान को नजरअंदाज किया जाता है।

घुमंतू पशुचारण को क्यों संरक्षित किया जाना और बढ़ावा दिया जाना चाहिए?

घुमंतू चरवाहों के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना न केवल भारत के लोगों के एक बड़े हिस्से की भलाई के लिए आवश्यक है, बल्कि ऐसे प्रयास सांस्कृतिक विविधता, सतत विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी फायदेमंद हैं।

पशुचारण एक स्वस्थ, लाभप्रद अथवा व्यवहार्य प्रणाली है जो हमारे लाखों–लाख लोगों के भरण–पोषण के लिए आवश्यक है। अन्यथा दुनिया भर में रोजगार की दयनीय स्थिति के मद्देनजर इनका भी अनिश्चितताओं से घिरे श्रम बाजार में शामिल होने की संभावना है।

घुमंतू पशुचारण लोगों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने और साथ ही हमारे ग्रह को कायम रखने का एक नुस्खा भी प्रदान करता है। कुछ अध्ययनों का अनुमान है कि पशुधन क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% है, जिसमें लगभग दो–तिहाई पशुपालक उत्पाद से प्राप्त होता है।

पशुपालक पारिस्थितिकी के रक्षक हैं, जो हमारी जैव–विविधता के संरक्षण का काम करते हैं। उनके मवेशी जुताई के बिना स्थानीय वनस्पति को सीधे भोजन में तब्दील कर देते हैं। वे सहजीवी संबंध में cross-pollination और कृषि पद्धतियों में मदद करते हैं। उनका नियमित प्रवास संसाधनों के गतिशील उपयोग, नस्लों के चयन और किसानों के साथ सहजीवी संबंध सुनिश्चित करता है।

सांस्कृतिक निरंतरता से सराबोर, पशुपालक चरवाहों के लिए अस्मिता और गौरव का स्रोत है, जिसे महज पेशे और आय के स्रोत तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। जीवन जीने का यह तरीका विविध और विकसित हो रही सांस्कृतिक परंपराओं और ज्ञान का घर है। घुमंतू पशुचारण सहयोग और एकजुटता में निहित सामाजिक व्यवस्था पर काम करता है, जिसमें देखभाल और साझाकरण शामिल है; और महिलाओं के लिए अधिक निर्णायक भूमिका एवं स्वायत्तता, कम से कम आर्थिक क्षेत्र में, का घोतक है। नष्ट होती विशेषताओं को पुनर्जीवित करने तथा नारीवादी एकजुटता से उभरने वाली अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसी में पारिस्थितिकीय समझदारी निहित है।

क्या किए जाने की जरूरत है?

दशकों से, एक्शनएड एसोसिएशन ने पशुपालक समुदायों के साथ काम किया है। पहले आदिवासी समुदायों के साथ अपने जुड़ाव के रूप में, और, बाद में उनके सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों पर केंद्रित जुड़ाव के रूप में। साल 2014 में हमने गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में 500 परिवारों के साथ संवाद से निकले एक अध्ययन के नतीजे "Crisis of Commons" नामक प्रकाशन में प्रकाशित किए। साल 2017 में हमने घुमंतू समुदायों के बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कार्यवाई का एजेंडा सामने रखने के लिए घुमंतू चरवाहों के बच्चों के साथ की गई बातचीत के नतीजे सार्वजनिक किए। कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान हमने पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में पशुपालकों के जीवन पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया। साल 2023 में हमने भारत के हिमाचल प्रदेश में गुज्जर समुदाय की आजीविका पर चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल उनकी क्षमता पर एक एक्शन रिसर्च के निष्कर्ष प्रकाशित किए।

गत वर्षों में, वर्तमान मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री पुर्षोत्तम रूपाला की पहलें पशुपालक समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों और उन्हें संबोधित करने के लिए विभिन्न प्रस्तावित उपायों की पहचान करने में सराहनीय कदम हैं। समुदाय के लिए सक्षम नीतियाँ बनाने में मदद के लिए एक 'पास्टोरल सेल' की घोषणा और गठन भी इस दिशा में उठाए गए कदमों में उल्लेखनीय है।

घुमंतू चरवाहों के न्यायसंगत भविष्य के लिए एजेंडा

घुमंतू चरवाहों का 'एजेंडा फॉर जस्ट फ्यूचर्स', समुदाय नेताओं और सदस्यों की सक्रिय भागीदारी एवं बातचीत का नतीजा है । इसके साथ–साथ यह एजेंडा समुदाय के साथ एक्शनएड एसोसिएशन के लंबे जुड़ाव और उनके सामने आने वाले मुद्दों का भी नतीजा है। अगस्त 2023 में जमीनी स्तर के नागरिक समाज संगठन, संवाद के सहयोग से रांची में "घुमंतू चरवाहों के अधिकार पर दो–दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। 2024 के फरवरी महीने में, घुमन्तु पशुपालकों के एक संगठन, राजस्थान रायका विकास संघटन के साथ साझेदारी में, एक्शनएड एसोसिएशन ने जयपुर में एक दो–दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 15 राज्यों के देहाती घुमंतू पशुपालक समुदायों के नेताओं की भागीदारी थी, ताकि भारत में घुमन्तु पशुपालक समुदायों को प्रभावित करने वाले अत्यावश्यक मुद्दों पर चर्चा की जा सके।

घुमंतू चरवाहों का 'एजेंडा फॉर जस्ट फ्यूचर्स' चुनौतियों का समाधान करने और भारत के घुमंतू और अर्ध–घुमंतू समुदायों के उज्जवल भविष्य के लिए सुधारों की आवश्यकता पर जोर देता है। इनमें कानूनी मान्यता की अनुपस्थिति को देखते हुए, भू–स्वामित्व अधिकारों को सुरक्षित करना, गतिशीलता, बस्तियों की गणना तथा सार्वजनिक भूमि पर उनके अधिकार सुनिश्चित करना शामिल है। घुमंतू समुदायों के समावेशन के साथ, उनके सामाजिक–सांस्कृतिक शोषण के मद्देनजर, उनके लिए विशेष आरक्षण की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, यह एजेंडा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, आजीविका और आर्थिक चुनौतियों के समाधान और पशुचारण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित करने की भी वकालत करता है। यह एजेंडा टकराव प्रबंधन, पशुओं का स्वास्थ्य और प्रबंधन, तथा चरवाहों की गतिशीलता को सुरक्षित करने पर भी केंद्रित है। इसके अलावा, यह एजेंडा इन मुद्दों के समाधान के लिए संस्थागत ढांचे के महत्व पर प्रकाश डालता है और चरवाहे समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर जोर देता है, चरागाहों की रक्षा करने और इन प्रभावों को कम करने के उपायों का आह्वान करता है।

1. गणना एवं कानूनी मान्यता

भारत में घुमंतू चरवाहे समुदायों की व्यवस्थित गणना या जनगणना का अभाव है। सटीक जनसांख्यिकीय आँकड़ों का अभाव, ऐसी नीतियाँ बनाने और उनके कार्यान्वन को चुनौतीपूर्ण बनाता है जो इन समुदायों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकें। उचित गणना के बिना, चरवाहों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के पैमाने का आकलन करना मुश्किल हो जाता है, जैसे चरागाह भूमि तक पहुँच, प्रवासन पैटर्न और आर्थिक योगदान। परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय योजना और नीति–निर्माण प्रक्रियाओं में उनकी जरूरतें और योगदान अक्सर अदृश्य बने रहते हैं। घुमंतू चरवाहों के अधिकारों को मान्यता देने और उनकी रक्षा करने वाले विशिष्ट राष्ट्रीय कानून की अनुपस्थिति उनकी भेद्यता को बढ़ा देती है। कानूनी मान्यता के बिना, चरवाहे अक्सर सुरक्षा संबंधी खतरों और उत्पीड़न का सामना करते हुए खुद को स्थानीय अधिकारियों और जमींदारों की दया पर निर्भर पाते हैं। उन्हें पारंपरिक चरागाह मार्गों तक पहुँच से वंचित किया जा सकता है, या, उन्हें उचित प्रक्रिया के बिना भूमि से बेदखली का सामना करना पड़ सकता है। कानूनी सुरक्षा की कमी का मतलब यह भी है कि उनकी पारंपरिक आजीविका और जीवन के तौर–तरीके आधुनिकीकरण और भूमि उपयोग परिवर्तन के दबावों के खिलाफ पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं हैं।

1.1 गणना

1.1.1 सटीक आँकड़े और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए घुमंतू और अर्ध–घुमंतू जनजातियों की एक विशेष जनगणना आयोजित की जानी चाहिए।

1.1.2 आगामी जनगणना और जाति जनगणना में घुमंतू चरवाहे समूहों पर विशेष ध्यान दियाना चाहिए। सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं तक उनकी पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए UID और अन्य सरकारी ID कार्ड जारी करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

1.1.3 जिला प्रशासन को आवश्यक सेवाओं और अधिकारों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए घुमंतू समुदाय के सदस्यों को सक्रिय रूप से जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए। घुमंतू चरवाहों के लिए SC, ST या OBC के समान अधिकार प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है, जो कुशल दस्तावेजी करण प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

1.1.4 भौगोलिक अलगाव के कारण घुमंतू समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि दस्तावेजीकरण और पात्रता प्रक्रियाओं के दौरान उनकी अनदेखी न की जाए।

1.1.5 सरकार को घुमंतू चरवाहे समुदायों के लिए जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और आधार. कार्ड जैसे आवश्यक पहचान दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कार्यक्रम लागू करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रवास करने वाले चरवाहों को उनकी गतिशीलता और सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष पहचान पत्र जारी किए जाने चाहिए।

1.2 कानूनी उपाय

1.2.1 प्रवासी समुदायों की सुरक्षा, विशेषकर प्रवास के दौरान, के लिए कानूनी उपाय लागू किए जाने चाहिए। यह प्रस्तावित किया जाता है कि इन समूहों को भी SC और ST समुदायों के समान, अत्याचार अधिनियम द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा का पात्र होना चाहिए। इसक अतिरिक्त, इस कानून के तहत घुमंतू चरवाहों, चरागाहों और प्रवास मार्गों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

1.2.2 वैध भूमि उपयोग और पशु उत्पादन प्रणाली के रूप में पशुचारण की औपचारिक कानूनी स्वीकृति राष्ट्रीय और राज्य विधानों में स्थापित की जानी चाहिए। इस स्वीकृति में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि पशुचारण चारागाह भूमि का उचित, उत्पादक और टिकाऊ उपयोग है।

1.2.3 कानून में ऐसे प्रावधान शामिल होने चाहिए जो चरवाहों को अनावश्यक बाधा के बिना चरागाहों, पानी और अन्य संसाधनों तक पहुँचने के लिए जिलों, राज्यों और राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर और उनके पार अपने पशुओं के साथ जाने के अधिकार की पुष्टि करते हों।

1.2.4 कानून को चरागाहों की भूमि, जल स्रोतों और अन्य रणनीतिक पशुधन पालन

संसाधनों सहित उनकी आजीविका के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुँचने के चरवाहों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

2. घुमंतू चरवाहे जनजातियों के लिए आरक्षण

2.1 घुमंतू और अर्ध–घुमंतू जनजातियाँ भारत में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर और उपेक्षित रही हैं। विभिन्न सरकारी पहलों के बावजूद, घुमंतू समुदायों को जीवन के विभिन्न पहलुओं में भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ता रहा है। इस मुद्दे को हल करने के लिए, हम घुमंतू जनजातियों के लिए एक अलग 4 से 5% कोटा के साथ एक नई श्रेणी की मांग करते हैं ताकि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित नागरिकों के रूप में उनके लिए विशेष आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

2.2 घुमंतू चरवाहे समुदायों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 4 से 5% की सीमा तक आरक्षण होना चाहिए।

3. चरवाहों को सामाजिक सुरक्षा

3.1 उन क्षेत्रों में जहाँ घुमंतू चरवाहे पाए जाते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और परिवहन सुविधाओं जैसी सामाजिक सेवाओं और बुनियादी ढाँचे में सरकारी बजट आवंटन और व्यय में वृद्धि सुनिश्चित की जानी चाहिए।

4. शिक्षा

4.1 घुमंतू चरवाहे समुदायों के बच्चों को आवासीय और मोबाइल स्कूलों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

4.2 स्कूलों और छात्रावासों में बालिकाओ के नामांकन और बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान की आवश्यकता है।

4.3 बच्चों (कक्षा V से ऊपर – कक्षा XII) के लिए आवासीय विद्यालयों का प्रावधान, बालिकाओ के लिए अलग आवासीय विद्यालय।

4.4 घुमंतू चरवाहों के बच्चों के लिए स्कूलों और उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए।

4.5 राट्रीय अनुसूचित जाति / जनजाति वित्त और विकास निगम और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के माध्यम से घुमंतू समुदायों के लिए रियायती ऋण और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए।

4.6 घुमंतू चरवाहों के लिए जागरूकता अभियान और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाने वाले गैर सरकारी संगठनों को उनकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

5. स्वास्थ्य सेवाएँ

5.1 राज्य सरकारों को घुमंतू चरवाहे समुदायों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू करनी चाहिए, जिससे उनकी पहुँच सुनिश्चित हो सके।

6. एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS):

6.1 घुमंतू चरवाहे समुदायों के लिए बालवाड़ी, आंगनवाड़ी और क्रेच प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जाएँ और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

7. महिलाएँ एवं लड़कियाँ

7.1 बाल विवाह और वधु खरीद–फरोखत की रोकथाम के लिए विशेष हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

7.2 उनका समावेश सुनिश्चित करने के लिए चरवाहा घुमंतू महिलाओं को ऋण, प्रशिक्षण, संपत्ति निर्माण, भूमि वितरण आदि में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

7.3 बालिकाओं की भलाई सुनिश्चित करते हुए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

7.4 महिला संगठनों के बीच अनुभवों और तरीकों को साझा करने को प्रोत्साहित करके महिलाओं की जानकारी और नए विचारों तक पहुँच को सुविधाजनक बनाना।

7.5 स्थानीय स्तर पर प्रशासित क्रेडिट कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, वित्तीय सहायता और नेटवर्किंग के अवसरों जैसे विभिन्न माध्यमों से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए।

7.6 मूल्य श्रृंखलाओं को समझने और बाजारों तक पहुँच बनाने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करके महिलाओं को छोटे व्यवसाय चलाने में सहायता करनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि ये क्रेडिट कार्यक्रम महिलाओं के लिए आसानी से सुलभ हों, उन पर अतिरिक्त जोखिम न डालें और किसी भी अपरिहार्य जोखिम के प्रबंधन के उपाय शामिल किए जाएँ।

8. बैंकिंग सेवाएं

8.1 बैंकों और डाकघरों को घुमंतू चरवाहे समुदायों के सदस्यों के लिए बैंक खाते खोलने हेतु सरल दिशानिर्देश विकसित किए जाने की सलाह दी जानी चाहिए, जिससे बैंकिंग सेवाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

8.2 बैंकों को घुमंतू चरवाहे समुदायों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का उचित प्रतिशत निर्धारित करने की सलाह दी जानी चाहिए।

8.3 वित्तीय सेवा विभाग को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए पात्र कमजोर वर्गों की सूची में देहाती घुमंतू समुदायों को एक अलग श्रेणी के रूप में जोड़ना चाहिए, जिससे उनका वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हो सके।

9. पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा

9.1 सभी पशुपालकों को उनकी मूल पंचायत के भीतर, स्रोत पर पंजीकृत किया जाना चाहिए।

9.2 उनके पशुओं को भी गांवों और पंचायत ग्राम रजिस्टरों में दर्ज किया जाना चाहिए।

9.3 उन्हें सार्वभौमिक आबादी और / या हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए शिक्षा सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, PDS, ICDS, PMAY आदि सहित सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच होनी चाहिए।

9.4 प्रवास के दौरान बच्चों के लिए मोबाइल शिक्षा और देहाती समुदायों और उनके पशुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच बनाए रखी जानी चाहिए।

9.5 दावों को उसी पंचायत में संसाधित किया जाना चाहिए जहाँ वे पंजीकृत हैं, भले ही प्रवासी मार्गों पर कोई दुर्घटना हो।

10. आजीविका और आर्थिक चुनौतियाँ

भारत में घुमंतू चरवाहों को बेहिसाब आजीविका और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके पारंपरिक जीवन शैली को खतरे में डालती हैं। दूध, घी, ऊन और मांस जैसे पशुपालक उत्पादों के बाजार मूल्य में गिरावट से उनकी आर्थिक कमजोरी बढ़ गई है। पशुधन और पशुधन उत्पादों के लिए बाजार पहुँच और उचित कीमतों की कमी के कारण घुमंतू चरवाहे अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए जूझते हैं। सीमित आय के अवसरों ने कई लोगों को दैनिक श्रम की दिशा में पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसके कारण वे अपनी परंपरा से दूर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, पशुधन की मुआवजा प्रणाली विषम है। बकरी जैसे छोटे जानवरों को न्यूनतम मुआवजा मिलता है, जो उनकी खरीद मूल्य के लिए पर्याप्त नहीं है। ये तमाम आर्थिक चुनौतियाँ न केवल घुमंतू चरवाहे समुदायों की वित्तीय स्थिरता को कमजोर बनाती हैं बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक प्रथाओं के संरक्षण को भी खतरे में डालती हैं।

10.1 घुमंतू समुदायों के लिए बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान करने हेतु नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं को शुरू और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही चल रहे कार्यक्रमों को मजबूत किया जाना चाहिए।

10.2 घुमंतू चरवाहे समुदायों के लिए बाजारों, पशु चिकित्सा सेवाओं और अन्य आवश्यक संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए।

10.3 डेयरी फार्मिंग और दूध उत्पादन में शामिल समूहों को स्थानीय डेयरी संघों में प्रतिनिधित्व के अवसर दिए जाने चाहिए।

10.4 दूध, ऊन और मांस जैसे पशुधन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए घुमंतू चरवाहे समुदाय के सदस्यों को शामिल करते हुए विभिन्न स्तरों पर समितियाँ बनाई जानी चाहिए। इस कीमत में उत्पादन लागत शामिल होनी चाहिए और चरवाहों के लिए उचित लाभ सुनिश्चित होना चाहिए।

10.5 राज्य एजेंसियों और संघों को न्यूनतम समर्थन मूल्य या उससे ऊपर पशुधन उत्पादों की खरीद का आदेश दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि चरवाहों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिले और वे बाजार के उतार–चढ़ाव से सुरक्षित रहें।

10.6 विपणन संबंध स्थापित करने में पशुचारक समुदायों की सहायता करना, जिसमें उन्हें खरीदारों के साथ जोड़ना, बाजार की जानकारी तक पहुँच प्रदान करना और उनकी

सौदे बाजी की शक्ति और बाजार में उपस्थिति को बेहतर बनाने के लिए विपणन रणनीतियों में प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

10.7 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) योजना के तहत ऊन काटने को एक समर्थित गतिविधि के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इससे ऊन काटने में लगे चरवाहों को वित्तीय और तकनीकी सहायता मिलेगी, जिससे उनके ऊन उत्पादों की गुणवत्ता और मूल्य में सुधार करने में मदद मिलेगी।

10.8 ऊन और दूध उत्पादों के विपणन और वितरण के लिए एक संरचित मंच प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य में ऊन और दूध महासंघ को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। फेडरेशन गुणवत्ता नियंत्रण, मूल्य स्थिरीकरण और डेयरी और ऊन क्षेत्रों में पशुपालकों के हितों की वकालत में भी भूमिका निभा सकता है।

10.9 न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र को ऊन खरीद तक बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए एक उचित फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है।

10.10 घुमंतू समुदायों की सुरक्षा के लिए अन्य देशों से ऊन पर आयात शुल्क लगाया जा सकता है।

10.11 धन के विचलन या कम उपयोग को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपायों के साथ, देहाती घुमंतू समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों के बजट में एक विशेष देहाती घुमंतू समुदाय उप–योजना को अपनाया जाना चाहिए।

10.12 प्रवासी चरवाहा समूहों की चिंताओं और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक चारा नीति का मसौदा तैयार करने की आवश्यकता है।

10.13 चरवाहा गतिशीलता के अनुकूल बाजारों और व्यापार को विकसित करने के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किया जाना चाहिए, जिसमें चरवाहा अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाले पिछड़े और आगे के लिंकेज का निर्माण भी शामिल है।

10.14 पशु स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में बजट प्रावधान और व्यय का विस्तार किया जाना चाहिए, जिसमें पशु स्वास्थ्य और उत्पादन में प्रशिक्षण और कौशल का प्रावधान शामिल है, ताकि चरवाहा प्रणालियों की उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाया जा सके।

10.15 पशुपालक उत्पादों में मूल्य जोड़ने और पशुपालक समुदायों के लिए आय के स्रोतों में विविधता लाने हेतु , पशु उत्पादों और हस्तशिल्प के प्रसंस्करण में प्रशिक्षण और कौशल विकास के प्रावधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

10.16 घुमंतू समुदायों के हितों को एकीकृत करते हुए और चरवाहा प्रणालियों का समर्थन करने के दीर्घकालिक आर्थिक लाभों को पहचानते हुए, विकास योजना के लिए अधिक टिकाऊ और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

10.17 जंगलों में वनस्पतियों और पौधों के जीवन पर देहाती घुमंतू समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग प्रजातियों के संरक्षण और वन संरक्षण के साथ–साथ सरकार द्वारा लघु वन उपज के संग्रह के लिए किया जा सकता है।

11. सामाजिक–सांस्कृतिक सीमांतकरण को संबोधित करना

भारत में घुमंतू चरवाहे समुदायों को महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक सीमांतकरण का सामना करना पड़ता है, जो नीतियों और कानूनी ढांचे के भीतर उनकी उपेक्षा में प्रकट होता है। यह बहिष्कार न केवल उनकी पारंपरिक आजीविका को कमजोर बनाता है बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक अस्मिता और परंपरा को भी नुकसान पहुँचाने का काम करता है। इन समुदायों में महिलाओं के सीमित प्रतिनिधित्व और स्वर के कारण हाशिए पर जाने की स्थिति और भी गहरी हो गई है, जो पशुचारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बावजूद इसके, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अक्सर उनकी अनदेखी की जाती है। समावेशन और मान्यता की यह कमी चरवाहे समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों को बढ़ा देती है, जिससे उनकी जीवन शैली की निरंतरता और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को खतरा उत्पन्न होता है। उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं का क्षरण और महिलाओं की घटती भूमिका अधिक समावेशी नीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है जो घुमंतू चरवाहों के अद्वितीय योगदान और जरूरतों को स्वीकार और उनका समर्थन करती है।

11.1 भाषा, परंपराओं और विरासत सहित घुमंतू चरवाहे समुदायों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता और संरक्षण दिया जाना चाहिए।

11.2 वैश्विक और क्षेत्रीय मानवाधिकार सम्मेलनों की तर्ज पर सांस्कृतिक आत्मनिर्णय के लिए चरवाहे समुदायों के अधिकार को कानूनी मान्यता एवं सुरक्षा, आजीविका कमाने तथा पारंपरिक प्रथाओं को बनाए रखने की अनुमति दी जाए।

11.3 ऐसी नीति और कानूनी प्रोत्साहन अपनाए जाएँ जो पारंपरिक प्रथाओं, भाषाओं और विरासत स्थलों सहित चरवाहा संस्कृति का संरक्षण और प्रचार का समर्थन करते हों।

11.4 घुमंतू चरवाहों की अनूठी सांस्कृतिक प्रथाओं और ज्ञान प्रणालियों का दस्तावेजीकरण और संरक्षण के प्रयास किए जाने चाहिए।

11.5 पशुपालकों के पारंपरिक ज्ञान के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करें, जिसमें पशुपालन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और पारिस्थितिकीय स्थिरता से संबंधित देशज प्रथाऐं शामिल हैं।

11.6 गतिशीलता नेटवर्क को न केवल स्थानिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक–सांस्कृतिक प्रणाली के हिस्से के रूप में भी बढ़ावा दिया जाए, जिससे कानून की प्रक्रिया, डिजाइन और मूल सामग्री की जानकारी मिल सके।

11.7 ऐसे सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों की स्थापना के प्रयास किए जाएँ, जो चरवाहे समुदायों और अन्य समूहों के बीच ज्ञान और प्रथाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करते हों व आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देते हों।

11.8 सरकार के संबंधित विभागों को ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों का समर्थन करना चाहिए, जो चरवाहा समुदायों की सामाजिक–सांस्कृतिक अस्मिता का जश्न मनाते हों और प्रोत्साहन देते हों।

11.9 ऐसे अनुसंधान और दस्तावेजीकरण पहल के लिए संस्थागत समर्थन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जो पशुचारण के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को रिकॉर्ड और अध्ययन करते हों, पशुचारक विरासत के संरक्षण और समझ में योगदान देते हों।

11.10 चरवाहों के पारंपरिक ज्ञान का संग्रहण और दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए, जिसमें भूमि उपयोग और जानवरों के संबंध में उनका पारंपरिक ज्ञान भी शामिल हो।

11.11 चरवाहों की विभिन्न भाषाओं को चीन्ह कर उनका संरक्षण किया जाना चाहिए।

12. गतिशीलता सुरक्षित करना

गतिशीलता पशुपालकों की आजीविका की स्थिरता, लचीलापन और सांस्कृतिक जीवन शक्ति का अभिन्न अंग है। चरवाहे समुदायों के गतिशीलता अधिकारों को चिन्हित और उनका समर्थन करना, उनकी भलाई को प्रोत्साहित करना, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं (राजमार्ग, रेलवे लाइन, सौर संयंत्रों की स्थापना आदि) तथा वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण के परिणामस्वरूप चरवाहे समुदायों की गतिशीलता पर भारी प्रतिबंध लग गया है। चुनौतियाँ इस तथ्य से और जटिल हो जाती हैं कि प्रवासी मार्ग राज्य की सीमाओं को पार करते हैं और यहाँ तक कि राज्य की सीमाओं के भीतर भी जिलों / पंचायत की सीमाओं को पार करते हुए चरागाह भूमि और अन्य सेवाओं तक पहुँचने के लिए चुनौतियों का सामना करते हैं। इसके आलोक में, इन समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव बनाए गए हैं:

12.1 घुमंतू चरवाहों को अपने पशुओं के साथ मौसमी प्रवास के दौरान सुरक्षित गतिशीलता की गारंटी दी जानी चाहिए। उन्हें उचित कानून के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए, जिसमें भूमि क्षेत्रों, संसाधनों और पशुधन गलियारों तक निर्बाध पहुँच के उनके अधिकारों की कानूनी मान्यता शामिल है, खासकर, फसल कृषि जैसे प्रतिस्पर्धी भूमि उपयोग वाले क्षेत्रों में।

12.2 सरकार को निर्दिष्ट मार्गों और विश्राम स्थलों के माध्यम से अपनी प्रवासी यात्राओं के दौरान घुमंतू चरवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार के जोखिम / संकट के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन कॉल नंबर का आवंटन भी शमिल है।

12.3 राज्य और उसके संबंधित विभागों को पशुपालकों सहित देहाती गतिशीलता से जुड़े सभी लोगों को शामिल करते हुए सहभागी योजना प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाना चाहिए, ताकि उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और गतिशीलता की स्थानिक और लौकिक गतिशीलता को समझा जा सके।

12.4 अभयारण्यों, आरक्षित वन क्षेत्रों, घास के मैदानों और अन्य क्षेत्रों में चराई पर प्रतिबंध की समीक्षा की जानी चाहिए, साथ ही घुमंतू पशुपालक समुदायों के परामर्श से नई प्रबंधन योजनाएँ बनाई जानी चाहिए।

12.5 उचित कानूनों को अपनाया जाना चाहिए जो स्थानीय संसाधन–साझाकरण व्यवस्था को मान्यता देते हैं और घुमंतू देहाती प्रणालियों में आवश्यक परिवर्तनशीलता और लचीलेपन को दर्शाते हुए पहुंच अधिकारों की बातचीत की अनुमति देते हैं।

12.6 घुमंतू पशुचारण के साथ असंगत उपयोगों के लिए भूमि के जबरन अलगाव या रूपांतरण के खिलाफ कानूनी सुरक्षा स्थापित की जानी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि देहाती भूमि उपयोग को बदलने या सीमित करने से पहले आर्थिक, पारिस्थितिक

और सामाजिक पहलुओं पर विचार किया जाता है।

12.7 ऐसे विकास या रियायतों को मंजूरी देने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन निष्पादित किया जाना चाहिए, जो घुमंतू गतिशीलता में बाधा डाल सकते हैं या संसाधनों तक पहुँच को प्रतिबंधित कर सकते हैं।

12.8 सुरक्षित और टिकाऊ गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए पशुधन और जंगली जानवरों दोनों के लिए 'बफर जोन' और पारगमन गलियारों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाना चाहिए।

12.9 संसाधनों तक पहुँच और संसाधन उपयोगकर्ताओं के बीच स्व–संगठित गतिशीलता को नियंत्रित करने वाले सामाजिक संबंधों को पहचानने और समर्थन करने के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए।

12.10 गतिशीलता के प्रबंधन में प्रथागत प्रणालियों की भूमिका का सम्मान करते हुए, निर्णय लेने और संघर्ष समाधान प्रक्रियाओं में स्थानीय प्रथाओं और संस्थानों का एकीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

12.11 जब भी गतिशीलता को प्रतिबंधित करने वाले विकास पर विचार किया जाए तो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में चरवाहों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

12.12 एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जो चरवाहों को SC/ ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के समान हिंसा और अत्याचारों से व्यापक सुरक्षा प्रदान करे, जिसमें चरवाहों से उनके पशुओं को लूटने या भीड़ द्वारा पीट–पीट कर हत्या करने जैसे हिंसक मामलों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएँ। यह भी जोड़ते हुए कि चरवाहों की गतिविधियों को चिह्नित किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान जो विश्राम स्थल के रूप में उपयोग किए जाते हैं का उपयोग किसी अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

13. भूमि अधिकार

भूमि अधिकार और उस तक पहुँच भारत में घुमंतू चरवाहों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करते हैं। घटते चरागाह भूमि पारंपरिक आजीविका को बनाए रखने के लिए उनके संघर्ष को बढ़ा देते हैं। औद्योगिक, कृषि और आवासीय उद्देश्यों के लिए भूमि के रूपांतरण से उपलब्ध चरागाह क्षेत्रों में भारी कमी आई है, जिसका सीधा असर घुमंतू चरवाहा प्रथाओं की स्थिरता पर पड़ा है। इसके अलावा, पारंपरिक चरागाह भूमि पर मान्यता और कानूनी अधिकारों की स्पष्ट कमी है, जो पशुधन पर निर्भर समुदायों की आजीविका के लिए आवश्यक हैं। यह स्थिति सामान्य भूमि के अतिक्रमण के कारण और भी जटिल हो गई है, जिससे चरागाह क्षेत्र और भी कम हुए हैं, जिन पर चरवाहे ऐतिहासिक रूप से निर्भर रहते आए हैं। इन जमीनों तक सुरक्षित पहुँच और कानूनी अधिकारों के बिना, घुमंतू चरवाहों को बढ़ती असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी जीवन शैली और इन क्षेत्रों के पारिस्थितिकीय संतुलन को खतरा बढ़ता है:

13.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए कि घुमंतू चरवाहे अपनी भूमि से विस्थापित न हों और चरागाह और खेती के लिए भूमि का उपयोग करने के उनके अधिकार सुरक्षित रहें।

13.2 गौचर आदि जैसे पारंपरिक चरागाहों पर चरवाहों के अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए और इसकी कानूनी रूप से पुष्टि की जानी चाहिए, जो उनकी आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस मान्यता में विवादों और अतिक्रमणों को रोकने के लिए इन क्षेत्रों का स्पष्ट दस्तावेजीकरण और मानचित्रण शामिल होना चाहिए।

13.3 सामान्य भूमि को अतिक्रमण और रूपांतरण से बचाने के लिए उपाय लागू किए जाने चाहिएँ, यह सुनिश्चित करते हुए कि चरवाहे महत्वपूर्ण चरागाह क्षेत्रों तक अपनी पहुँच बनाए रखें। इसमें मौजूदा कानूनों को लागू करना और संभवतः इन भूमियों को अन्य उपयोगों के लिए पुनरू उपयोग किए जाने से बचाने के लिए नए नियम बनाना शामिल है।

13.4 संस्थागत प्रक्रियाएँ स्थापित की जानी चाहिए जो सभी स्तरों (स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय) पर विकास, भूमि उपयोग और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की योजना में पशुच. ारण की स्थानिक और परिचालन आवश्यकताओं पर विचार करें। इसमें चारागाह भूमि की जोनिंग और योजना प्रक्रिया में देहाती जरूरतों को एकीकृत करना शामिल है।

13.5 ऐसी नीतियाँ विकसित की जानी चाहिए जो चारागाह भूमि के अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ चरवाहों की जरूरतों को संतुलित करती हों, यह सुनिश्चित करती हों कि गतिशीलता पर सीमाएँ केवल तभी लगाई जाएँ जब अन्य भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के साथ समायोजन और सह–अस्तित्व के लिए आवश्यक हो।

13.6 ऐसे मामलों में जहाँ भूमि रूपांतरण अपरिहार्य है, सुनिश्चित किया जाए कि चरवाहों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए और उनकी आजीविका बनाए रखने के लिए वैकल्पिक चरागाह क्षेत्र या पुनर्वास सहायता प्रदान की जाए। यह दृष्टिकोण पशुपालक प्रथाओं के संरक्षण के साथ विकास की जरूरतों को संतुलित करने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा होना चाहिए।

13.7 पशुपालक समुदायों को लक्षित सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें पशु चिकित्सा सेवाओं, जल संसाधनों और उनके पशुधन उत्पादों के लिए बाजार के अवसरों तक पहुँच शामिल है। इस समर्थन का उद्देश्य घटती चरागाहों की स्थिति में उनकी पारंपरिक आजीविका की स्थिरता और लचीलेपन को बढ़ाना होना चाहिए।

13.8 भूमि उपयोग, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और विकास योजना से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में चरवाहा समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए उनका 'इनपुट' आवश्यक है कि नीतियाँ और कार्य सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और उनके पारंपरिक जीवन शैली का समर्थन करने वाले हों।

13.9 गैर–पशुपालन गतिविधियों के लिए चरागाह भूमि का कोई भी अतिक्रमण या 'डायवर्जन' निषिद्ध होगा, और उल्लंघन के लिए सख्त दंड लगाया जाएगा।

13.10 भूमि और भूमि स्वामित्व तक पहुँच में असमानताओं को पहचानें और उनसे निपटें, क्योंकि यह चरवाहा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इन पहलों को महिलाओं और बालिकाओ के भूमि उपयोग और उस पर पूर्ण स्वामित्व के कानूनी और व्यावहारिक अधिकारों के बीच अंतर करना चाहिए।

13.11 विदेशी प्रजाति के पेड़ों को लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने से बचना चाहिए। इसके बजाय पारंपरिक रूप से चरवाहों के मार्गों पर उगने वाली घास और झाड़ियाँ लगाई जानी चाहिए और बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाना चाहिए। इसी तरह, ऐसे वृक्षारोपण अभियान के लिए मनरेगा के तहत पहल की जानी चाहिए।

14. विवाद प्रबंधन

प्रवास के दौरान, विभिन्न प्रशासनिक सीमाओं को पार करते हुए, चरवाहा समुदाय अपने हितों की रक्षा करने वाले सुरक्षात्मक कानूनी ढांचे के अभाव में मेजबान समुदायों के साथ विवादों/संघर्ष में पड़ जाते हैं। समुदाय हिंसा की घटनाओं और कई बार उनके पशुओं को लूटने की रिपोर्ट करते हैं। ऐसे मामलों में संघर्ष समाधान के लिए कानूनी समर्थन के साथ मजबूत उपायों की आवश्यकता होती है, जैसा कि नीचे प्रस्तावित है:

14.1 घुमंतू चरवाहे समुदायों से जुड़े भूमि, संसाधनों और अधिकारों से संबंधित संघर्षों को संबोधित करने के लिए एक मजबूत विवाद समाधान प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये प्रणालियाँ संघर्ष प्रबंधन और विवाद समाधान के लिए कार्रवाई की पहली पंक्ति प्रदान करती हों।

14.2 घुमंतू चरवाहे समुदायों के सदस्यों को किसी भी प्रकार के भेदभाव, उत्पीड़न या हिंसा से बचाने के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि चरवाहे और चरवाहे गतिशीलता को प्रभावित करने वाली नीतियाँ, कार्यक्रम और परियोजनाएँ संघर्ष–संवेदनशील हैं और कोई नुकसान नहीं पहुँचाने के लिए डिजाइन की गई हैं।

14.3 संघर्ष समाधान तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए जो स्थान, भाषा और प्रक्रियाओं के संदर्भ में महिलाओं, युवाओं, विकलांगों और अन्य कमजोर समूहों सहित घुमंतू चरवाहे समुदायों के सभी सदस्यों के लिए सुलभ और किफायती हों।

14.4 घुमंतू चरवाहों और अन्य उत्पादकों के बीच सहयोग और सहयोग को बढ़ाते हुए, संघर्ष समाधान तंत्र के विकेंद्रीकरण और चरवाहों और अन्य भूमि उपयोगकर्ताओं की पारंपरिक प्रणालियों के एकीकरण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

14.5 उनकी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष प्रबंधन और विवाद समाधान तंत्र के डिजाइन, कार्यान्वयन और निगरानी में चरवाहा समुदायों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

14.6 संघर्ष समाधान तंत्र को नेविगेट करने और कानूनी ढांचे के भीतर उनके अधिकारों और दायित्वों को समझने में चरवाहों को कानूनी सहायता और सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

15. पशुधन स्वास्थ्य और प्रबंधन

पशुधन स्वास्थ्य और प्रबंधन घुमंतू चरवाहों के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। वे अपनी आजीविका के लिए जानवरों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में, पशु चिकित्सा सेवाओं और बुनियादी ढाँचे की उल्लेखनीय कमी है, जिससे पशुपालकों के लिए अपने पशुओं के लिए आवश्यक

स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच चुनौतीपूर्ण हो जाती है। यह स्थिति जानवरों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई स्वास्थ्य सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के कारण और भी जटिल हो गई है। यह बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, पशुपालन और प्रजनन प्रथाओं से संबंधित पारंपरिक ज्ञान का धीरे–धीरे नुकसान हो रहा है, जो ऐतिहासिक रूप से पीढ़ियों से चला आ रहा है। देशज ज्ञान का यह क्षरण चरवाहों की अपने पशुधन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता को बाधित करता है, जिससे उनकी उत्पादकता और स्थिरता पर असर पड़ता है:

15.1 ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थापना और विस्तार सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक आसान पहुँच प्रदान की जा सके, जिसमें दूरदराज के इलाकों तक पहुँचने वाले हेतु मोबाइल पशु चिकित्सा क्लीनिक भीामिल हैं।

15.2 घुमंतू चरवाहे समुदायों की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में सुसज्जित पशु अस्पतालों और क्लीनिकों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिनमें प्रशिक्षित पशु चिकित्सक हों और आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति से सुसज्जित हों।

15.3 पशुचारण से जुड़े विभिन्न जोखिमों को कवर करने वाली बीमा योजनाएँ लागू की जानी चाहिए, जिनमें आकस्मिक मृत्यु, बीमारी का प्रकोप और पशुधन की चोरी शामिल है।

15.4 पशुपालकों को उनके पारंपरिक ज्ञान के पूरक के लिए आधुनिक पशुपालन तकनीकों, रोग प्रबंधन और प्रजनन प्रथाओं पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

15.5 आधुनिक पशुधन प्रबंधन रणनीतियों में पशुपालन और प्रजनन प्रथाओं के देशज ज्ञान को दस्तावेजित करने, संरक्षित करने और एकीकृत करने के प्रयास शुरू किए जाने चाहिए।

15.6 घुमंतू चरवाहे समुदायों के लिए पशु चिकित्सा सेवाओं को और अधिक किफायती बनाने के लिए सब्सिडी या वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

15.7 पशुधन की नस्लों में सुधार करने, सामान्य बीमारियों के लिए टीके विकसित करने और पशुपालक समुदायों में समग्र पशु स्वास्थ्य प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए।

15.8 पशुधन क्षेत्रों में समर्पित पशु स्वास्थ्य देखभाल केंद्र बनाए जाने चाहिए, जो पशुओं के निदान, उपचार और टीकाकरण की सुविधाओं से सुसज्जित हों।

15.9 पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण पशु आहार और पो ाक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

16. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना

घुमंतू चरवाहों को तेजी से पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो उनके पारंपरिक जीवनशैली को खतरे में डाल रही हैं। जलवायु परिवर्तन ने उनके पारंपरिक प्रवास पैटर्न और चरागाह भूमि की उपलब्धता पर गहरा प्रभाव डाला है, जिससे पशुचारण और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच नाजुक संतुलन बाधित हो गया है। इसके अतिरिक्त, भूमि–उपयोग परिवर्तनों के कारण

जैव–विविधता और प्राकृतिक आवासों का महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है, जिससे उन संसाधनों पर और दबाव पड़ा है जिन पर घुमंतू चरवाहे निर्भर थे। ये पर्यावरणीय बदलाव पारंपरिक प्रथाओं को आधुनिक पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के अनुकूल बनाने में चुनौतियाँ पैदा करते हैं। चरवाहों की अपनी आजीविका को बनाए रखने की क्षमता सीधे तौर पर उनके द्वारा निवास किए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य से जुड़ी होती है, जिससे चरवाहा समुदायों और उनके द्वारा संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र दोनों की लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पर्यावरण संरक्षण रणनीतियों में उनके ज्ञान और प्रथाओं को एकीकृत करना अनिवार्य हो जाता है:

16.1 घुमंतू चरवाहों को जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन में योगदान देने वाले अग्रणी पारिस्थितिकीय रक्षकों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, और उनके दृष्टिकोण और चिंताओं को सार्थक विमर्श और परामर्श के माध्यम से जलवायु परिवर्तन नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाना चाहिए।

16.2 सरकार को घुमंतू चरवाहे समुदायों के जीवन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का तत्काल एक व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए ताकि क्षति की प्रकृति और सीमा का निर्धारण किया जा सके और मूल्यांकन के आधार पर, जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जा सकें। इन समुदायों पर और उनकी भलाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

16.3 घुमंतू चरवाहे समुदायों को होने वाले जलवायु परिवर्तन–प्रेरित नुकसान और क्षति का आकलन, क्षतिपूर्ति और समाधान करने हेतु उपाय किए जाने चाहिए, जिसमें जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए एक व्यापक नीति ढाँचे का कार्यान्वयन, वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना शामिल है। समुदाय को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे पशुधन की हानि, चरागाहों में कमी, विस्थापन से उबरने में मदद करना, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे 'हीट वेव' और शीत लहर के कारण होने वाली किसी भी मौत के लिए नुकसान और क्षति की रूपरेखा स्थापित करना शामिल है।

16.4 देहाती प्रणालियों का जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए पहल की जानी चाहिए, जैसे कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, सूखा प्रतिरोधी नस्लें, टिकाऊ चारागाह और चरागाह भूमि प्रबंधन प्रथाएँ, स्थायी आजीविका प्रथाओं को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच प्रदान करना और जलवायु–लचीला बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना।

16.5 सरकार को घुमंतू समुदायों के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन रणनीतियों को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन और धन आवंटित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सहायता समय पर और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाती हों।

17. संस्थागत तंत्र

देहाती समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियाँ इस तथ्य से जटिल और अधिक हो गई हैं कि उनके मुद्दों के समाधान के लिए कोई 'सिंगल विंडो' संस्थागत तंत्र मौजूद नहीं है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा गठित 'पास्टोरल सेल' इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इसकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को भी विस्तृत करने की आवश्यकता है। समुदायों को राज्यों (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति) में अलग–अलग सूची के तहत वर्गीकृत किया गया

है, जिससे उनके लिए सुरक्षात्मक तंत्र की समान प्रयोज्यता बाधित होती है। अन्य कमजोर समुदायों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) की तरह, जहाँ राष्ट्रीय आयोग मौजूद हैं, समान संस्थागत तंत्र और राज्यों में कल्याण बोर्डों की स्थापना से इन समुदायों के हितों की रक्षा के लिए एकल खिड़की संस्थागत तंत्र प्रदान करने में मदद मिलेगी। इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव हैं:

17.1 घुमंतू चरवाहा समुदायों द्वारा घास के मैदानों और चरागाहों के स्थायी उपयोग को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय चरागाह और घुमंतू चरवाहा नीति तैयार की जानी चाहिए।

17.2 भूमि और संसाधन प्रबंधन से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में घुमंतू चरवाहे समुदायों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने हेतु राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर संस्थागत तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए।

17.3 गतिशीलता के प्रबंधन हेतु संस्थागत ढाँचे में घुमंतू समुदायों का मजबूत और प्रभावी प्रतिनिधित्व शामिल होना चाहिए या चरवाहों और अन्य भूमि उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधि संगठनों के साथ निकट परामर्श में काम करना चाहिए।

17.4 संस्था को पशुधन प्रबंधन, भूमि उपयोग विकास और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए जिम्मेदार सरकारी विभागों से तकनीकी सहायता प्राप्त होनी चाहिए, और स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्पष्ट संबंध होना चाहिए।

17.5 घुमंतू देहाती नागरिक समाज संगठनों के लिए संस्थागत सहायता क्षमता विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वे गतिशीलता प्रबंधन में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा सकें।

17.6 स्थानीय स्तर पर घुमंतू गतिशीलता प्रबंधन के लिए प्राधिकरण का हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिसमें चरवाहा समुदायों की प्रथागत संस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए, जहाँ वे मौजूद हैं।

17.7 पारंपरिक संस्थाओं के अभाव में घुमंतू चरवाहे समुदायों के सदस्यों तथा अन्य उत्पादक प्रणालियों तथा भूमि–उपयोगकर्ता समूहों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले संघों का गठन किया जाना चाहिए।

17.8 संस्थागत ढांचे में चरवाहों के देशज ज्ञान को शामिल किया जाना चाहिए और प्रथागत और समुदाय–आधारित प्रबंधन सिद्धांतों को एकीकृत किया जाना चाहिए।

17.9 घुमंतू समुदायों और गतिशीलता की चुनौतियों से निपटने में सरकार के सभी संबंधित विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे शासन, आर्थिक विकास, पशुधन विकास और पर्यावरण प्रबंधन क्षेत्रों में गतिशीलता के लिए समर्थन को मुख्यधारा में लाया जा सके।

17.10 खाद्य सुरक्षा, प्रकृति संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा मानव अधिकारों और पशुचारण के सामाजिक–आर्थिक विकास पहलुओं के संबंध में गतिशीलता के रणनीतिक मूल्य की संस्थागत मान्यता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

17.11 कार्यान्वयन संस्था को जलवायु परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखते हुए घुमंतू चरवाहे समुदायों और अन्य हितधारकों के परामर्श से गतिशीलता की अनुसूची और समय निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।

17.12 राज्य और राष्ट्रीय सरकार के स्तर पर विभिन्न विभागों में क्षैतिज रूप से और पंचायत घुमंतू देहाती गतिशीलता सहित तीन स्तरों के बीच लंबवत रूप से समन्वय तंत्र का सख्त कार्यान्वयन होना चाहिए।

17.13 'ट्रांस ह्यूमन्स कैलेंडर', जिसमें प्रत्येक इलाके में पशुधन द्वारा बिताए जाने वाली अधिकतम अवधि निर्दिष्ट की जाएगी, को उचित रूप में चरवाहों को सूचित किया जाना चाहिए।

17.14 घुमंतू चरवाहे समुदायों की जरूरतों और चिंताओं को विशेष रूप से संबोधित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वैधानिक आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। इस आयोग को घुमंतू चरवाहे मामलों के लिए समर्पित विभाग के साथ समन्वय में काम करना चाहिए। विभाग उन नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा जो चरवाहों के सामाजिक–आर्थिक विकास का समर्थन करते हों, उनके अधिकारों की रक्षा करते हों और देहाती संसाधनों का स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करते हों।

17.15 यह महत्वपूर्ण है कि घुमंतू चरवाहे मामलों से संबंधित किसी भी निर्णय लेने वाली समि. ति या आयोग में चरवाहा समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व शामिल हो। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनके दृष्टिकोण, जरूरतों और पारंपरिक ज्ञान पर विचार को सुनिश्चित करता है। यह प्रतिनिधित्व चरवाहे नेताओं, समुदाय के प्रतिनिधियों, या चरवाहे मुद्दों की गहरी समझ रखने वाले विशेषज्ञों की सीधी भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

17.16 प्रत्येक राज्य को घुमंतू चरवाहे समुदायों के लिए अलग कल्याण बोर्ड स्थापित करना चाहिए। ये बोर्ड स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और संसाधनों तक पहुँच जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए देहाती समुदायों के कल्याण और विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कल्याण बोर्डों को प्रयासों के समन्वय और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वैधानिक आयोग और अलग विभाग के साथ मिलकर काम करना चाहिए।

17.17 अंतरराष्ट्रीय पशुचारण के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि पड़ोसी राज्य मौसमी मार्गों और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन करने वाले चरवाहों की सुरक्षित यात्रा की पेशकश के लिए सहयोग करें।

17.18 रोग नियंत्रण, व्यापार आदि से संबंधित अंतरराष्ट्रीय पशुचारण के दिशानिर्देशों की स्थापना के लिए चरवाहों को चर्चा में शामिल किया जाना चाहिए। दिशानिर्देश बनाने में सहभागी दृटिकोण उनका अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा।